

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन विभाग-01
संख्या-²³⁶³¹⁰ /XV-1/22/2(10)/2022
देहरादून: दिनांक 30 अगस्त, 2024
कार्यालय - आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के प्रावधानानुसार तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 104/XXX(2)/2018 दिनांक: 31 मार्च, 2021 के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुरूप पशुपालन विभागान्तर्गत संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष अधिकारियों को अनिवार्य/अनुरोध/जनहित के आधार पर निम्न तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश हुए हैं:-

संयुक्त निदेशक/समकक्ष

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	डा० योगेश कुमार शर्मा	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।	सुगम से दुर्गम
2	डा० हरेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक, निदेशालय देहरादून।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।	सुगम से दुर्गम
3	डा० अशीम देव	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग, सम्बद्ध यू०एल०डी०वी०, ऋषिकेश।	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली के मूल पद पर तैनाती।	सुगम से दुर्गम
4	डा० आशीष रावत	परि०नि०, लघु पशु पौड़ी, अतिरिक्त प्रभार, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।	वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी के पद पर तैनाती।	अनुरोध के आधार पर
5.	डा० सतीश चन्द्र जोशी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	संयुक्त निदेशक, निदेशालय देहरादून।	अनुरोध के आधार पर
6.	डा० प्रलयकर नाथ	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली।	रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्, देहरादून।	दुर्गम से सुगम
7	डा० डी०के० चन्द	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार।	दुर्गम से सुगम
8	डा० योगेश चन्द्र भारद्वाज	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर।	जनहित
9	डा० देवेन्द्र बिष्ट	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी।	परि०नि०, लघु पशु पौड़ी।	जनहित

2. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समानानुसार

नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

3. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किये जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी।

4. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

Signed by Rajendra Kumar Bhatt

Date: 30-08-2024 16:02:19

(राजेंद्र कुमार भट्ट)

संयुक्त सचिव।

236310

संख्या : /XV-1/22/2(10)/2022 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
9. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
10. संबंधित कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Karam Ram

Date: 30-08-2024 17:35:03

अनु सचिव